

GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार) MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय) RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)



No. 2023/TG-I/10/UTS&M-UTS

New Delhi, dated. 22.04.2025

The Principal Chief Commercial Managers, All Zonal Railways. Managing Director, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.

(Commercial Circular No. 04 of 2025)

Sub: Implementation of Mobile-UTS (M-UTS) for unreserved ticketing.

Ref: (i) This office letter of even no. dated 12.02.2024.

(ii) Southern Railway's letter no. C.378/ VII/ 25/ UTS/ M-UTS dated 31.12.2024.

Post-facto sanction of the Competent Authority is hereby accorded for extension of the following pilot projects w.e.f. 12.02.2025 to 30.03.2026:

- i. Use to M-UTS by Railway staff over all Zonal Railways;
- ii. Utilization of M-UTS at 10 Halt Stations of Southern Railway.
- 2. It has further been decided to extend the scope of utilization of M-UTS at rest of the halt stations of Southern Railway as well as all halt stations spread over 5 Zonal Railways namely Eastern Railway, East Central Railway, Northern Railway, North Eastern Railway and Western Railway for a period up to 30.03.2026.
- 3. Zonal Railways shall furnish feedback about functioning of the schemes (upto 31.10.2025) to Board's office positively by 10.11.2025.
- 4. Necessary instructions may be issued to all concerned accordingly.

5. This issues with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways.

Digitally signed by SANJAY MANOCHA Date: 22-04-2025

12:26:25

(Sanjay Manocha)
Director Passenger Marketing-II
Ph. No.:011-23047367
Email id: manocha.421sanjay@gov.in
4th Floor, Room No: 415-A
Railway Board

No. 2023/TG-I/10/UTS&M-UTS

New Delhi, dated. 22.04.2025

Copy to:

- 1. PFAs, All Zonal Railways
- 2. Dy. Comptroller & Auditor General (Railway), Rail Bhawan New Delhi.
- 3. Director General of Audit, All Zonal Railways

Digitally signed by Naresh Chand Jain Date: 23-04-2025 For M@m**0c4 F0n2**nce, Railway Board

Copy forwarded for information to:

- 1. CRB & CEO, M(O&BD), Member Finance Railway Board.
- 2. AM/C, AM/R, PED(A), EDFC, , EDIP of Railway Board.
- 3. MD, Centre for Railway Information System (CRIS), Chanakyapuri, near National Rail Museum, New Delhi for necessary Software changes.

Rail Bhawan, Raisina Road, New Delhi-110001

भारत सरकार/Government of India रेल मंत्रालय/Ministry of Railways रेलवे बोर्ड/Railway Board

सं.2023/टीजी-।/10/यूटीएस एंड एम-यूटीएस

नई दिल्ली, दिनांक 22.04.2025

प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक,	प्रबंध निदेशक, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई
सभी क्षेत्रीय रेलें।	दिल्ली।

(2025 का वाणिज्य परिपन्न सं. 04)

विषयः अनारक्षित टिकट के लिए मोबाइल-यूटीएस (एम-यूटीएस) का कार्यान्वयन। संदर्भः (i) इस कार्यालय का दिनांक 12.02.2024 का समसंख्यक पत्र।

(ii) दक्षिण रेलवे का दिनांक 31.12.2024 का पत्र सं. सी.378/ VII/25/यूटीएस/एम-यूटीएस।

निम्नलिखित पायलट परियोजनाओं को 12.02.2025 से 30.03.2026 तक आगे बढ़ाने के लिए एतद्द्वारा सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है:

- i सभी क्षेत्रीय रेलों पर रेल कार्मिकों द्वारा एम-यूटीएस का उपयोग;
- दक्षिण रेलवे के 10 हाल्ट स्टेशनों पर एम-यूटीएस का उपयोग।
- 2. यह भी विनिश्चय किया गया है कि दक्षिण रेलवे के शेष हाल्ट स्टेशनों के साथ-साथ 5 क्षेत्रीय रेलवे अर्थात् पूर्वी रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे, उत्तर पूर्वी रेलवे और पश्चिम रेलवे के सभी हॉल्ट स्टेशनों पर एम-यूटीएस के उपयोग का दायरा 30.03.2026 तक बढाया जाए।
- 3. क्षेत्रीय रेलें योजनाओं के संचालन के बारे में फीडबैक (31.10.2025 तक) बोर्ड कार्यालय को 10.11.2025 तक अवश्य भेजेगी।

- 4. तदन्सार सभी संबंधितों को आवश्यक अन्देश जारी किए जाएं।
- 5. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया गया

क्रिप्र मनोचा)

निदेशक, यात्री विपणन-॥

दूरभाष: 011-23047367

ईमेल आईडी: manocha.421sanjay@gov.in

चौथा तल, कमरा सं. 415-ए

रेलवे बोर्ड

सं.2023/टीजी-।/10/यूटीएस एवं एम-यूटीएस

नई दिल्ली, दिनांक 22.04.2025

प्रतिलिपि प्रेषितः

- 1. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें
- 2. उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), रेल भवन, नई दिल्ली।
- 3. महानिदेशक लेखा परीक्षा, सभी क्षेत्रीय रेलें

नर्य

सदस्य वित्त, रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ अग्रेषितः

- 1. अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, रेलवे बोर्ड, सदस्य(परिचालन एवं व्यवसाय विकास), सदस्य वित्त, रेलवे बोर्ड।
- 2. अपर सदस्य/ वाणिज्य, अपर सदस्य/ राजस्व, प्रधान कार्यपालक निदेशक(लेखा), कार्यपालक निदेशक वित्त वाणिज्य, कार्यपालक निदेशक सूचना एवं प्रसार, रेलवे बोर्ड।

3. प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय रेलवे सूचना प्रणाली (क्रिस), चाणक्यपुरी, राष्ट्रीय रेल म्यूजियम के पास, नई दिल्ली को सॉफ्टवेयर में अपेक्षित परिवर्तनों के लिए।